

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 अप्रैल 2024 — चैत्र 12, शक 1946

गृह विभाग, सी-अनुभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 मार्च 2024

आदेश

क्रमांक एफ 04-03/दो/गृह-सी/2002. — यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ की परीक्षा से संबंधित अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये;

अतएव, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क. 10 सन् 1979) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अनुसूची के भाग “ख” के सरल क्रमांक 1 में विनिर्दिष्ट “माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़” की परीक्षा से संबंधित अत्यावश्यक सेवा में कार्यो के लिए नियुक्त किये गये कार्मिक द्वारा, कार्य से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, जो तीन मास तक के लिये तत्काल प्रभावी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**डी. पी. कौशल**, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 26 मार्च 2024

क्रमांक एफ 04-03/दो/गृह-सी/2002.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ 04-03/दो/गृह-सी/2002 दिनांक 26-03-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**डी. पी. कौशल**, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 26th March 2024

ORDER

No. F 04-03/two/Home-C/2002.— Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential service relating to the examination of the Chhattisgarh Board of Secondary Education in the State;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Chhattisgarh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government, hereby, prohibits refusal to work by Personnel, appointed for the works in essential service relating to the examination of the "Chhattisgarh Board of Secondary Education" specified in serial number 1 of Part "B" of the Schedule, from immediate effect to till three months.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.